DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.) Ordinance 23(A)

" दिव्यांगों का 'पदचिन्हांकन' एवं आरक्षण का अधिकार : एक अध्ययन (उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में) "

Approved and Forwarded by R.A.C.

Approved and Forwarded by D.R.C.

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि हेतु प्रस्तुत

प्रस्तावित शोध प्रबंध की रूपरेखा

(Synopsis)

28/08/2024

28/03/2025

विधि विभाग

शोधार्थी

आलोक कुमार चौरसिया

शोध–निर्देशिका

डॉ. अनुपमा पंडित सक्सेना

सहायक प्राध्यापक, विधि विभाग

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

वर्ष–2021-2022

पंजीकरण संख्या–Y21491002

विषय – सूची

स.क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	शोध शीर्षक	1
2.	प्रस्तावना	1–15
3.	साहित्य समीक्षा	15–24
4.	विशिष्ट योगदान	25–27
5.	शोध प्रविधि	27–29
6.	अपेक्षित परिणाम	29
7.	सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	30–33

1. शोध शीर्षक :

"दिव्यांगों का 'पदचिन्हांकन' एवं आरक्षण का अधिकार : एक अध्ययन (उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में)"

2. प्रस्तावना :

'दिव्यांगता' शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर भौतिक या मानसिक रूप से पूर्णतः या आंशिक रूप से अविकसित रहता है अथवा किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण पूर्णतः या आंशिक रूप से विकृत हो जाता है। ऐसी अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को 'दिव्यांग' कहा जाता है। भारतीय विधायिका ने इसे **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** की धारा **2(ध)** में परिभाषित किया है। इस धारा के अनुसार, **'दिव्यांगजन' से ऐसी दीर्घकालिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे बाधाओं का सामना करने में अन्य व्यक्ति के साथ समान रूप से समाज में पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी में रूकावट उत्पन्न होती** है।[1]

यह अधिनियम दिव्यांगजन को परिभाषित करने के अतिरिक्त दिव्यांगता के सन्दर्भ में **'विभेद'**[2] एवं **'सन्दर्भित दिव्यांगजन'**[3] को भी परिभाषित करता है। दिव्यांगजन की परिभाषा को समझने के लिए 'विभेद' एवं 'सन्दर्भित दिव्यांगजन' की परिभाषा का विश्लेषण महत्वपूर्ण है साथ ही इससे सम्बन्धित धाराएं विशेषकर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 एवं 34 का सहविश्लेषण भी आवश्यक है।

---

[1] धारा **2(ध)**, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

[2] विभेद – दिव्यांगता के संबंध में "विभेद" से दिव्यांगता के आधार पर कोई विभेद, अपवर्जन, निर्बधन अभिप्रेत है जो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल या किसी अन्य क्षेत्र में सभी मानव अधिकारों के मूलभूत स्वतंत्रताओं के संबंध में अन्य व्यक्तियों के साथ किसी सामान्य आधार पर मान्यता, उपभोग या प्रयोग ह्रासित करने या अकृत का प्रयोजन यह प्रभाव है जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के विभेद और युक्तियुक्त सुविधाओं का प्रत्याख्यान भी है"। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, धारा 2(ज)

[3] सन्दर्भित दिव्यांगजन – "संदर्भित दिव्यांगजन' से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणीकृत, विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के चालीस प्रतिशत से अन्यून का व्यक्ति अभिप्रेत है जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अध्युपायी निबंधनों में परिभाषित नहीं की गई है और इसमें ऐसा दिव्यांगजन भी सम्मिलित है जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत अध्युपायी निबंधनों में परिभाषित की गई है।"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016,धारा 2(द)

यह अधिनियम[4] विशेष रूप से दिव्यांगजनों के अधिकार एवं उनके प्रति होने वाले विभेद के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु अधिनियमित किया गया है परन्तु अधिनियम[5] की धारा 33 एवं 34 के उपबंध जिसमें क्रमशः आरक्षण के लिए पदों की पहचान एवं आरक्षण का उपबन्ध है विभेदकारी, पक्षपातपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि भारत में दिव्यांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ लेने के लिए **''सन्दर्भित दिव्यांगजन''**[6] (person with benchmark disability) होना अनिवार्य है तथा सन्दर्भित दिव्यांगजन होने के साथ–साथ उसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 में आरक्षण प्राप्त करने हेतु धारा 33[7] के अन्तर्गत **पदचिन्हांकन** में भी आना अनिवार्य है।

भारत में दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण यथापरिभाषित सन्दर्भित दिव्यांगजन को ही प्राप्त है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार केवल सन्दर्भित दिव्यांगजन को ही आरक्षण का लाभ दिया जाता है। यह अधिनियम दिव्यांगता के मापन हेतु कोई दिशा निर्देश अथवा आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं करता है । इसके लिए भारत सरकार ने राजपत्र[8] प्रकाशित किया है, इस राजपत्र के दिशा निर्देशों के अनुसार ही दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। यह अधिनियम कुल 21[9] (इक्क्कीस) प्रकार की दिव्यांगता को सम्मिलित करता है। दिव्यांगता के मापन हेतु जारी दिशा निर्देश अस्पष्ट हैं तथा पूर्ण नहीं हैं । यह प्रमाणकर्ता अधिकारी को विवेकीय शक्तियां प्रदान करता है जो भ्रष्टाचार व मनमानेपन को बढ़ावा देता है।[10] चूँकि दिव्यांग आरक्षण सिर्फ संदर्भित दिव्यांगों को ही प्राप्त होता है और सन्दर्भित दिव्यांग की श्रेणी में ऐसे दिव्यांगजन ही आते हैं जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता से ग्रसित हैं इसलिए कुछ प्रमाणकर्ता

---

[4]दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
[5]दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
[6]दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016,धारा 2(द)
[7]दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
[8]रजिस्ट्री सं. डी. एल.–33004/99 नई दिल्ली ,वृहस्पतिवार ,मार्च 14 ,2024 https://depwd.gov.in/latest-notified-guidelines-for-assessing-the-extent-of-specified-disabilities-dated-14-03-2024/
[9]दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, धारा 2(जेडसी) एवं इसकी अनुसूची
[10]सोम राज एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य 1990 एआईआर 1176, 1990 एससीआर (1) 535, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण ए.आई.आर. 1975 ए.सी. 2299

प्राधिकारी[11] उन दिव्यांगों को जो वास्तव में 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता से ग्रसित हैं, उन्हें सुविधा शुल्क के अभाव में 40 प्रतिशत से कम अर्थात 38 या 39 प्रतिशत का प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, और जो 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता से ग्रसित हैं, उन्हें सुविधा शुल्क लेकर 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। कुछ प्रमाणकर्ता अधिकारी तो सुविधा शुल्क लेकर जो व्यक्ति दिव्यांग नहीं हैं, उन्हें भी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, वो भी 40 प्रतिशत या अधिक, अर्थात "सन्दर्भित दिव्यांगजन" का प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। जिससे वे दिव्यांग न होते हुए भी दिव्यांग श्रेणी का आरक्षण पाकर चयनित हो जाते हैं। जिसका उदाहरण हम मध्यप्रदेश में 2022 में हुए **पटवारी भर्ती**[12] में देख सकते हैं तथा यूपीएससी 2023 में चयनित फर्जी दिव्यांग पूजा खेडकर के मामले को देख सकते हैं। **पूजा खेड़कर**[13] पर आरोप है कि वह वास्तव में दिव्यांग नहीं थी, लेकिन फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे आईएएस के लिए चयनित हुई। अभी यूपीएससी ने इनकी नियुक्ति निरस्त की है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें परीक्षाओं में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे कुछ 'सामान्य व्यक्ति' जो 'दिव्यांग' नहीं हैं, दिव्यांग आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी कर रहे हैं।[14]

इस अधिनियम की धारा 91[15] सन्दर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किसी फायदे को कपटपूर्वक लेने के लिए दण्ड का प्रावधान करती है। वर्तमान में **''सन्दर्भित दिव्यांगजन''**[16] से सम्बन्धित अनेकों समस्याएं, विभेदकारी कार्य एवं चुनौतियां हैं, जिनमें से प्रमुख है कि 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता से ग्रसित का प्रमाण पत्र जारी करना, जिसके आधार पर सन्दर्भित दिव्यांग का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और आरक्षण का लाभ मिलता है। सन्दर्भित दिव्यांगजन

---

[11]दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016,धारा 2(ड),प्रमाणकर्ता प्राधिकारी से धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी अभिप्रेत है।

[12]पटवारी बनाने के लिए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाने वाले अभ्यर्थी पर एफआईआर दर्ज.नई दुनिया समाचार, 26 फरवरी 2024

[13]फर्जी सर्टिफिकेट,झूठ धोखेबाजी से बनी थीं ट्रेनी आईएएस जानिए क्या है पूजा खेडकर का पूरा केस, आजतक, नई दिल्ली, 31 जुलाई 2024

[14]फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वालों पर एक्शन, जिला शिक्षा अधिकारी ने किया नियुक्ति निरस्त लाइव हिंदुस्तान ,उज्जैन 16 जनवरी, 2024

[15]दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

[16]दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016,धारा 2(द)

का प्रमाण पत्र जारी करने की विवेकीय शक्ति ''प्रमाणकर्ता अधिकारी'' को दे दी गयी है, जिससे वे अपने इस विवेकाधिकार[17] का मनमानेपन ढंग से प्रयोग करता है। प्रमाणकर्ता अधिकारी की शक्ति पूर्णतः विवेकीय है और गलत प्रमाण पत्र जारी करने पर कोई दंड या सटीक कार्यवाही का उपबंध नहीं है। निश्चित मापदंडों एवं नियमों के अभाव में प्रमाणकर्ता अधिकारी इस शक्ति का दुरूपयोग करते हैं, जिससे अंततः दिव्यांगजन के अधिकार प्रभावित होते हैं।

प्रथम दृष्टया प्रमाण पत्र जारी करने के बाद तक दुबारा कोई जांच नहीं की जाती है, जब तक कि उस दिव्यांग प्रमाणपत्र के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त न हो। शिकायत के उपरांत ही उस दिव्यांग प्रमाणपत्र को हासिल करने वाले व्यक्ति की दिव्यांगता का पुनः परीक्षण होता है। इसलिए अब सरकार द्वारा दिव्यांगों के नौकरी पर चयनित किये जाने के पूर्व उसका दिव्यांगता परीक्षण कराया जाता है। आजकल व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए नये–नये तरीकों की खोज करता रहता है, जिनमें फर्जी सन्दर्भित दिव्यांग का प्रमाण पत्र हासिल करके दिव्यांग आरक्षण से सरकारी नौकरी पाना भी एक माध्यम बन गया है। अतः प्रमाणकर्ता अधिकारी को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग युक्तियुक्त व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार करना चाहिए। विवेकाधिकार का प्रयोग मनमानापन ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। गलत प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्रमाणकर्ता के विरुद्ध भी दंड का प्रावधान होना चाहिए जिससे वह अपने इस विवेकाधिकार का प्रयोग युक्तियुक्त व न्यायोचित तरीके से करें। इस क्षेत्र में नियमों की कमी एवं समस्या के बढ़ते स्वरूप ने शोधकर्ता को इस विषय के प्रति आकर्षित किया है ।

इसी सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण बिंदु **'पदचिन्हांकन'** है। पदचिन्हांकन से तात्पर्य होता है कि क्या वह दिव्यांग व्यक्ति उस पद पर, जिस पर वह नियुक्त होने जा रहा है, उसके कार्यों को निष्पादित करने के लिए उपयुक्त है या नहीं ? यदि वह दिव्यांग व्यक्ति कार्यों को निष्पादित करने के लिए उपयुक्त है तो उसे पदचिन्हांकन के अन्तर्गत रखा जाता है। पदचिन्हांकन उस पद के कार्यों को

[17]सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1994 ए.सी. 268

निष्पादित करने की शारीरिक आवश्यकताओं का मापदण्ड होता है कि क्या वह दिव्यांग उस पद के कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम है या नहीं? मुख्य रूप से यही देखना होता है कि कोई दिव्यांग उस पद पर अपनी दिव्यांगता के बावजूद भी कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम है या नहीं? अतः उस पद पर कार्यों को निष्पादित करने के लिए शारीरिक मापदण्डों को जांच करने के लिए ही पदचिन्हांकन की आवश्यकता होती है। पदचिन्हांकन से फायदा यह है कि उस पद पर कार्यों को निष्पादित करने के लिए शारीरिक मापदण्डों की जांच हो जाती है जिससे उस पद पर कार्यों का निष्पादन आसानी से हो जाता है और दिव्यांगजन भी देश के विकास में अपना योगदान दे पाते है। **पदचिन्हांकन**[18] से नुकसान यह है कि कुछ ऐसे दिव्यांगजन हैं जो 'संदर्भित दिव्यांगजन' हैं किन्तु उनके लिए 'पदचिन्हांकन' का प्रावधान नहीं है तो उन्हें दिव्यांगजन आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि वे दिव्यांगजन वास्तव में उस कार्यों को निष्पादित करने के लिए सक्षम होते हैं किन्तु पदचिन्हांकन में न आने के कारण उन्हें **आरक्षण**[19] का लाभ नहीं मिलता है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–33 के अन्तर्गत 'समुचित सरकार' द्वारा पदों की पहचान की जाती है, जिसे पदचिन्हांकन कहा जाता है। पदों की पहचान करने की शक्ति समुचित सरकार के पास है, जिसमें असमानता पायी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे केन्द्र सरकार के द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए पदचिन्हांकन किया गया है जिसमें एक पैर या एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग उपयुक्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये गये पदचिन्हांकन में उपयुक्त नहीं पाये गये हैं जबकि बिहार सरकार द्वारा किये गये पदचिन्हांकन में इसी श्रेणी के दिव्यांग उपयुक्त पाये जाते हैं।[20] पदचिन्हांकन मनमानेपन को जगह देता है। जो संविधान[21] के अनुच्छेद 14, 16 तथा अनुच्छेद 21

[18]दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, धारा 33
[19]दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, धारा 34
[20]यू.पी.पी.एस.सी. का विज्ञापन संख्या ए-3/ई-1/2022, बी.पी.एस.सी. का विज्ञापन संख्या 1/2020 तथा यू.पी.एस.सी. का विज्ञापन संख्या 04/2021 का दिव्यांग पदचिन्हांकन
[21]भारत का संविधान,1950

का उल्लंघन करता है इसीलिए धारा–34[22] के अंतर्गत आरक्षण हेतु पदचिन्हांकन जैसा प्रावधान नहीं होना चाहिए। यह आवश्यक है कि यदि पदचिन्हांकन हो तो उसमें असमानता न हो, मनमानापन न हो, केन्द्र सरकार और सभी राज्यों के पदचिन्हांकन समान हो, क्योंकि इन सभी में असमानता पायी जा रही है, जो दिव्यांगों के मूलाधिकारों का उल्लंघन करता है। जैसे उत्तर प्रदेश[23] में एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग किसी भी पद पर नियुक्त होने के लिए उपयुक्त नहीं है किन्तु उत्तर प्रदेश में ही केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं का क्वालीफाई करके नियुक्त हो सकता है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पदचिन्हांकन में उपयुक्त नहीं है, किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा किये गये पदचिन्हांकन में उपयुक्त है। ऐसी असमानता पदचिन्हांकन के कारण पायी जा रही है इसलिए दिव्यांग आरक्षण में पदचिन्हांकन जैसी रुकावट नहीं होनी चाहिए और सभी सन्दर्भित दिव्यांगों को समान रूप से आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। **दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और वैकल्पिक प्रोटोकाल पर कन्वेशन, 2006**[24] में अनुच्छेद 3 में सामान्य सिद्धान्त में भी गैर विभेद पर रोक लगायी गयी है तथा अवसर की समानता पर प्रावधान किया गया है किन्तु पदचिन्हांकन दिव्यांगों के बीच में ही विभेद करता है और दिव्यांगों को समानता का अवसर नहीं देता है। धारा–3[25] में भी समता और विभेद का प्रावधान किया गया है। किन्तु धारा–33[26] के द्वारा पदचिन्हांकन का प्रावधान करके दिव्यांगों के बीच में ही विभेद किया जा रहा है।

इस विषय में कई महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय न्यायपालिका द्वारा दिए गए हैं जैसे **डॉ. विजय कुमार अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य**[27] इस वाद में पहली बार राजस्थान राज्य में मेडिकल पाठ्यक्रमों में दिव्यांग आरक्षण लागू किया गया।

---

22 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, धारा 34

23 शासनादेश संख्या –35/65–03–11–78/99 लखनऊ,दिनांक 13 जनवरी ,2011

24 संयुक्त राष्ट्र संघ का दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और वैकल्पिक प्रोटोकाल पर कन्वेशन, 2006

25 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

26 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

27 2001(1), डब्लू.एल.एन. 620

राजीव कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ[28] इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' सहित सभी पदों में (ग्रुप 'ए' से 'डी' तक) दिव्यांग आरक्षण को विस्तार करने का निर्देश दिया।

नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बनाम संघ लोक सेवा आयोग[29] इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग को आदेश दिया कि दृष्टिबाधित (नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित) पात्र उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने या लिखने की अनुमति ब्रेललिपि या लेखक की मदद से दी जाये ।

ईरा सिंघल बनाम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एण्ड ट्रेनिंग एवं अन्य[30] में ईरा सिंघल, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आई.आर.एस. के लिए बनायी गयी पदचिन्हांकन के अंतर्गत नहीं आती थी, इसलिए संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2010 उत्तीर्ण करने के बाद भी ईरा सिंघल को नियुक्ति नहीं दी ।

ईरा सिंघल ने पोस्टिंग न दिये जाने के खिलाफ सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में वाद दायर किया लगभग 4 सालों बाद 25 फरवरी 2014 को ट्रिब्यूनल ने ईरा सिंघल के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और इसी वर्ष 2014 में ही ईरा सिंघल ने यू.पी.एस.सी. सी.एस.ई. (आई.ए.एस.) 2014 में सर्वोच्च स्थान लाकर टॉप किया और इस तरह से वह आई.ए.एस. के लिए चयनित हुई । जिसका परिणाम यह हुआ कि इस दिव्यांग श्रेणी को भी संघ लोक सेवा आयोग ने पदचिन्हांकन में शामिल किया और वर्ष 2022 में संघ लोक सेवा आयोग सी.एस.ई. (आई.ए.एस.) के लिए एक ऐसे अभ्यर्थी का चयन हुआ जिनके दोनों हाथ पैर नहीं है।[31]

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अनुसार सरकारी नौकरियों में न्यूनतम 3 प्रतिशत पदों को दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किया गया था फिर भी 04.04.2022 को भारत सरकार

---

[28]ए.आई.आर. 2016,एस.सी. 323

[29]ए.आई.आर. 1993,एस.सी. 1916

[30]निर्णय तिथि 25 फरवरी 2014, सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनलप्रधान पीठ ओ.ए. 2543/2012

[31]ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पैर-एक हाथ कटा, तीन उंगलियों से पास की यूपीएससी परीक्षा, अखिलेश हुए मुरीद,आज तक समाचार मैनपुरी ,उत्तर प्रदेश 24 मई , 2023।

के कार्मिक मंत्रालय द्वारा शोधार्थी को प्रदान की गई सूचना[32] के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन नौकरियों में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व केवल 0.698 प्रतिशत है। जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांगजनों का आरक्षण 4 प्रतिशत है। यह अधिनियम, 19 अप्रैल 2017 से सम्पूर्ण भारत वर्ष में लागू है। केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी नौकरियों में दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व[33] मात्र 0.698 प्रतिशत है। पूर्व के दिव्यांगजन अधिनियम में 3 प्रतिशत दिव्यांग आरक्षण तथा वर्तमान के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार 4 प्रतिशत दिव्यांग आरक्षण है किन्तु वास्तव में 1 प्रतिशत भी नहीं मिल रहा हैं? इसके पीछे प्रमुख एक कारण है **'दिव्यांग आरक्षण के लिए पदचिन्हांकन'**[34] का होना जो दिव्यांग आरक्षण में रूकावट बन रहा है। निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 1995 की धारा–32 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 में पदचिन्हांकन के बारे में प्रावधान है। यह 'पदचिन्हांकन' ही दिव्यांग आरक्षण में रूकावट बन रहा है। यह समस्या भी शोध का महवपूर्ण विषय है क्योंकि इस सन्दर्भ में शोध अंतराल स्पष्ट है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2006 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और वैकल्पिक प्रोटोकाल पर कन्वेंशन बनाया गया। इस कन्वेंशन में कही भी दिव्यांगजनों के लिए पदचिन्हांकन का प्रावधान नहीं है। भारत भी दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय, 2006 का हस्ताक्षरकर्ता है।[35] और भारत ने 1 अक्टूबर, 2007 को इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया और 27 दिसम्बर 2016 को भारत में

---

[32] शोधार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा–6 में आवेदन संख्या DOP&T/R/T/22/0198 उत्तर में कार्मिक मंत्रालय , भारत सरकार के द्वारा बताया गया है ।

[33] शोधार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा–6 में आवेदन संख्या DOP&T/R/T/22/01980 के उत्तर में कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा बताया गया है ।

[34] दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, धारा 33 व भारत सरकार का राजपत्र रजिस्ट्री सं. डी. एल. –33004/99 नई दिल्ली ,वृहस्पतिवार , जनवरी 7, 2021 https://depwd.gov.in/identification-of-posts-for-pwds/ अंतिम बार 18 अगस्त 2024 को 11:32:21 A.M पर देखा गया।

[35] भारत ने 1 अक्टूबर, 2007 को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और वैकल्पिक प्रोटोकाल पर अभिसमय 2006 का अनुसमर्थन किया।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अधिनियमित हुई जिसे 19 अप्रैल 2017 को लागू किया गया।[36]

वर्तमान स्थिति : वर्तमान में भी दिव्यांगजनों को शासकीय सेवाओं में 4 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, कहीं पदचिन्हांकन रूकावट बन रहा है तो कहीं न्यूनतम अंक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 में कुल 253 पद के लिए विज्ञापन निकाले गए थे जिनमें सिर्फ एक पद उपजिलाधिकारी के लिए आरक्षित[37] थी जबकि धारा 34 में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है जिसके अनुसार यदि दिव्यांगजनों को आरक्षण मिलता तो कुल 10 पदों पर दिव्यांग चयनित होते, किन्तु आरक्षण का पालन नहीं किया गया, कहीं पदचिन्हांकन रूकावट बन रहा है तो कहीं न्यूनतम अंक, निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में शासकीय सेवाओं में 4 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल रहा है।[38]

उच्च शिक्षा संस्थाओं में भी पीएच.डी. प्रवेश में दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 32 के अनुसार 5 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल रहा है।[39]

शोध समस्या :

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में 4 प्रतिशत दिव्यांग आरक्षण सरकारी नौकरियों में है तथा 5 प्रतिशत दिव्यांग आरक्षण उच्च शिक्षा संस्थाओं में है तो वास्तव में एक प्रतिशत भी दिव्यांग आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है? सरकारी सेवाओं में कहीं पदचिन्हांकन, तो कहीं दिव्यांगजनों के लिए भी अनारक्षित श्रेणी के

---

[36] 27 दिसम्बर 2016 को भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अधिनियमित हुई जिसे 19 अप्रैल 2017 को लागू किया गया।

[37] शोधार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 में आवेदन संख्या UPPSC/R/2024/60165 के उत्तर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा के द्वारा बताया गया है।

[38] शोधार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 में आवेदन संख्या UPPSC/R/2024/60165 के उत्तर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा के द्वारा बताया गया है।

[39] शोधार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 में आवेदन संख्या DHGVV/R/E/24/00084 तथा DHGVV/R/E/23/00071 के उत्तर में डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय द्वारा के द्वारा बताया गया है कि उनके विश्वविद्यालय में सत्र 2023–24 में केवल 6 शोधार्थी दिव्यांग श्रेणी से हैं तथा नामांकन सत्र 2022–23 के अनुसार विश्वविद्यालय में कुल 474 शोधार्थी है तथा शोधार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 में आवेदन संख्या BANHU/A/E/24/00001 के उत्तर में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा के द्वारा बताया गया है ।

समान न्यूनतम उत्तीर्ण अंक तय किया जाना रुकावट बन रहा है । उच्च शिक्षा संस्थाओं में पीएच.डी. पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 5 प्रतिशत सीट दिव्यांगों के लिए आरक्षित नहीं रखा जा रहा है।[40] इसलिए 5 प्रतिशत आरक्षण वास्तव में नहीं मिल पा रहा है। शोधार्थी ने इसकी जानकारी के लिए जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एक आर.टी.आई. दाखिल की और पूछा कि आपके विश्वविद्यालय में वर्तमान में कुल कितने शोधार्थी है? तथा उनमें से कितने शोधार्थी दिव्यांग श्रेणी से है?[41] जिसका उत्तर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा 12 मार्च, 2024 को दिया गया और बताया गया कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वर्तमान में कुल 4861 शोधार्थी है जिसमें से सिर्फ 13 शोधार्थी दिव्यांग श्रेणी से है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में समुचित आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

इस शोध का प्रमुख केंद्र इस बात का अध्ययन करना हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों में दिव्यांग आरक्षण को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार कैसे लागू कराया जाये, जिससे सभी संदर्भित दिव्यांगजनों को आरक्षण का लाभ मिल सके। सरकारी नौकरियों में केन्द्र सरकार तथा सभी राज्यों का अपना अलग–अलग पदचिन्हांकन है, जिसमें असमानता पायी जाती है, शोधार्थी के द्वारा केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य राज्यों के आरक्षण संबधी नियमों एवं दिव्यांग आरक्षण के लिए बनाये गये पदचिन्हांकन का अध्ययन किया गया है जिसमें असमानता दिखाई देती है। जिसके कारण दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के अनुसार उपबंधित 4 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त करने में विधिक एवं मानवाधिकार सम्बन्धी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है । पदचिन्हांकन द्वारा दिव्यांगजनों में ही विभेद किया जा रहा है, जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 3

---

[40]शोधार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 में आवेदन संख्या DHGVV/R/E/24/00084 तथा DHGVV/R/E/23/00071 के उत्तर में डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय द्वारा के द्वारा बताया गया है कि उनके विश्वविद्यालय में सत्र 2023–24 में केवल 6 शोधार्थी दिव्यांग श्रेणी से हैं तथा नामांकन सत्र 2022–23 के अनुसार विश्वविद्यालय में कुल 474 शोधार्थी है।

[41]शोधार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 में आवेदन संख्या BANHU/A/E/24/0001 के उत्तर में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा के द्वारा बताया गया है ।

में समता और अविभेद का प्रावधान है तथा धारा 12 में न्याय तक पहुंच, धारा 20 में नियोजन में विभेद न करना एवं धारा 21 में समान अवसर नीति का प्रावधान है, किन्तु धारा 33[42] में पदचिन्हांकन का प्रावधान करके दिव्यांगजनों में ही विभेद किया गया है, जिससे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 3, 12, 20, 21 का उल्लंघन तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 16, 21 का उल्लंघन होने जैसी विधिक एवं मानवाधिकार सम्बन्धी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर शोध एवं अध्ययन की कमी के कारण एक प्रशासनिक, विधिक एवं न्यायिक अन्तराल दर्शित होता है जिस पर यह शोध केन्द्रित है।

शोध का उद्देश्य : शोध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

1. दिव्यांगजनों के आरक्षण के अधिकार से सम्बंधित विधिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक समस्याओं का अध्ययन करना तथा इससे सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि, भारतीय संवैधानिक विधि, विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य विधायन, नियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों का अध्ययन एवं विश्लेषण करना ।

2. उत्तर प्रदेश राज्य में लोक सेवाओं में दिव्यांग आरक्षण से सम्बन्धित पदचिन्हांकन की समस्या, सम्बंधित आँकड़े, संभावित उपाय का अध्ययन एवं विश्लेषण कर व्यावहारिक एवं प्रभावशाली सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना :

दिव्यांगों के पदचिन्हांकन की अपूर्णता, अस्पष्टता एवं असमानता के कारण दिव्यांगों के आरक्षण के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है।

शोध प्रश्न :

1. दिव्यांग आरक्षण एवं पदचिन्हांकन से सम्बन्धित विधिक एवं मानवाधिकार सम्बन्धी चुनौतियां क्या हैं ? दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का अधिकार

[42] दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

अंतर्राष्ट्रीय विधि, भारत के संविधान एवं अन्य भारतीय विधानों के अंतर्गत कहां तक संरक्षित है ? इस हेतु किये गए विधिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक उपाय कहाँ तक उपयुक्त हैं ?

2. भारत में, दिव्यांग व्यक्तियों के आरक्षण एवं पदचिन्हांकन के सम्बन्ध में बना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 कहां तक अनुकूल है ? दिव्यांग आरक्षण एवं पदचिन्हांकन को लागू करने के लिए बनी नियमावली कहां तक सार्थक साबित हुई हैं ?
3. उत्तर प्रदेश में दिव्यांग आरक्षण से सम्बन्धित विधियों एवं पदचिन्हांकन में किस प्रकार का भेदभाव आरक्षण के अधिकार को प्रभावित करता है तथा उन्हें लोक सेवाओं में चयन हेतु किन–किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ?
4. उत्तर प्रदेश में दिव्यांग आरक्षण एवं पदचिन्हांकन को अधिक सरल और प्रभावी बनाने के लिए किन विधिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक परिवर्तनों की आवश्यकता है ?

शोध का महत्व

यह शोध अन्तराल को भरने का प्रयास करेगा। यह शोध दिव्यांगो के अधिकार से सम्बंधित नए शोध को बढ़ावा देगा। यह शोध प्रशासनिक अधिकारियों , अधिवक्ताओं, प्रमाणकर्ता अधिकारियों, न्यायाधीशों, शोधार्थियों तथा दिव्यांगजनों को मौलिक अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करेगा और सभी दिव्यांगों के बीच असमानताओं व विभेद को दूर करके दिव्यांगों के बीच समानता लाएगी जिससे दिव्यांग आरक्षण लागू करने में आने वाली विधिक एवं मानवाधिकार सम्बन्धी चुनौतियों का निपटारा आसानी से किया जा सकता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 पदचिन्हांकन व धारा 34 लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसमें विभेद व असमानता पायी जाती है, यह शोध असमानताओं को दूर करके दिव्यांगों के लिए एक समान नीति लागू करने में सहायक होगा। यह शोध दिव्यांगजनों के बीच समानता लाकर, उनके बीच होने वाले विभेद को दूर करेगा, जिससे समाज के सभी वर्गों को फायदा होगा व सरकार समान रूप से नीतियों व प्रशासनिक आदेशों

को लागू कर सकेगी। यह शोध सन्दर्भित दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में जो अस्पष्टता है उसे दूर करेगा, जिससे प्रमाणकर्ता अधिकारी सिर्फ पात्रों को ही सन्दर्भित दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह शोध मौलिक है, यह दिव्यांगजनों के आरक्षण व मानवाधिकार सम्बन्धी चुनौतियों का सामना करने में सहायक होगा।

शोध की सीमाएँ

दिव्यांगजनों के आरक्षण एवं पदचिन्हांकन की समस्या भारत के किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। यह समस्या केन्द्र सरकार व भारत के सभी राज्य सरकारों द्वारा लोक सेवाओं के लिए निकाली गई रिक्तियों में देखने को मिलती है। जब हम एक ही पद के लिए केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार व अन्य राज्य सरकारों द्वारा जारी विज्ञापन का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के लिए जो पदचिन्हांकन किया गया है, उन सभी में असमानता व मनमानापन है, जैसे एक पैर से दिव्यांग व्यक्ति केंद्र सरकार व बिहार सरकार में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्त होने के लिए उपयुक्त पाया जाता है किन्तु उसी पद के लिए उत्तर प्रदेश में उपयुक्त नहीं पाया जाता है इसीलिए उसे पदचिन्हांकन के अंतर्गत नहीं रखा गया है।

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक असमानता व मनमानापन दिव्यांगजनों के आरक्षण के लिए पदचिन्हांकन में देखने को मिलता है, यहाँ एक हाथ व पैर से दिव्यांग व्यक्ति को ग्रुप ए से लेकर डी तक किसी भी पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है जबकि इस श्रेणी का दिव्यांग व्यक्ति केंद्र सरकार व अन्य राज्यों में उपयुक्त पाया जाता है। असमानता व मनमानापन लगभग सभी राज्यों में तथा केंद्र सरकार द्वारा निकाली गयी नियुक्तियों के विज्ञापनों में देखने को मिलता है परन्तु समय, धन और व्यवहारिक बाधाओं को देखते हुए इस अध्ययन को लोक सेवाओं में केन्द्र सरकार व उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा लागू दिव्यांग आरक्षण व पदचिन्हांकन तक सीमित रखा गया है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसँख्या वाला राज्य है और यहाँ दिव्यांगजनों की संख्या भारत में सबसे अधिक है तथा दिव्यांगजनों के

आरक्षण के लिए पदचिन्हांकन में सबसे अधिक असमानता व मनमानापन उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है। इसीलिए शोधार्थी ने अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का चुनाव किया है, आंकड़ों के संग्रह के लिए उत्तर प्रदेश के दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय, दो राज्य विश्वविद्यालय व दो विशेष विश्वविद्यालय के दिव्यांग प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों व दिव्यांग शासकीय कर्मचारी तथा केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों का चुनाव किया है। शोधार्थी ने आंकड़ों के संग्रह के लिए उत्तर प्रदेश के दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय में पहला काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी व दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय, अलीगढ़ का चुनाव किया है । इन दोनों विश्विद्यालय में भारत के लगभग सभी राज्यों के दिव्यांग प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी अध्ययन करते हैं । इनसे प्राप्त आकड़ों के निष्कर्ष को सम्पूर्ण भारत की परिस्थिति की जानकारी के लिए आधार बनाया जा सकता है । शोधार्थी ने आंकड़ों के संग्रह के लिए, उत्तर प्रदेश के दो राज्य विश्वविद्यालय में पहला दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर तथा दूसरा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ का चुनाव किया है तथा दो विशेष विश्वविद्यालय पहला डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा दूसरा जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट का चुनाव किया है। ये दोनों विशेष विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों के शिक्षा के लिए स्थापित किये गए हैं। इन सभी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलो के दिव्यांग विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। इनसे प्राप्त आकड़ों के निष्कर्ष को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की परिस्थिति की जानकारी के लिए आधार बनाया जा सकता है ।

उपर्युक्त विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक से 25–25 दिव्यांग प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों का चुनाव किया गया है। (कुल 150 दिव्यांग प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों का चुनाव किया है), दिव्यांग शासकीय कर्मचारी के आकड़ो के लिए उपर्युक्त सभी विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक से 5–5 दिव्यांग कर्मचारी (कुल 30 दिव्यांग कर्मचारी) तथा उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के 25–25 दिव्यांग

कर्मचारी (कुल 50 दिव्यांग कर्मचारी) का यादृच्छिक रूप से चुनाव किया जायेगा, कुल 230 दिव्यांगजनों से आंकड़ों का संग्रह किया जायेगा।

इनसे प्राप्त आकड़ों के निष्कर्ष को सम्पूर्ण भारत व उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में प्रयोग किया जा सकता है तथा दिव्यांगों के पदचिन्हांकन एवं आरक्षण से सम्बंधित समस्याओं का समाधान व सुझाव प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. साहित्य समीक्षा :

मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विधियाँ

(1) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और वैकल्पिक प्रोटोकाल पर कन्वेंशन, 2006[43]

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिवम्बर, 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसमय को अंगीकृत किया था, इस अभिसमय के अनुच्छेद–3 में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सामान्य सिद्धांत दिया गया है, इसमें अपना चयन स्वयं करने की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अंतर्निहित गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान,गैर विभेद,समाज में पूर्व और प्रभावी भागीदारी और समावेशन, मानव विविधता और मानवता के हिस्से के रूप में दिव्यांग व्यक्तियों की भिन्नता और स्वीकृति का सम्मान, अवसर की समानता, अभिगम्यता, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता, दिव्यांग बच्चों की विकसित होती क्षमताओं का सम्मान और दिव्यांग बच्चों के अधिकारों का सम्मान का प्रावधान है। अनुच्छेद–4 में सामान्य बाध्यताएं दिया गया है जिसके अनुसार पक्षकार राज्य, दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद किये बिना सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सभी मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता का पूर्ण प्रापण सुनिश्चित करने और उनका संप्रवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है। अनुच्छेद–5 में समानता और गैर–विभेद का प्रावधान है जिसके अनुसार पक्षकार राज्यों की यह मान्यता है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और जिस विधि से वे शासित होते हैं उनमें बिना किसी

---

[43]संयुक्त राष्ट्र संघ का दिव्यांगजन अधिकारों पर अभिसमय, 2006

कर्मचारी (कुल 50 दिव्यांग कर्मचारी) का यादृच्छिक रूप से चुनाव किया जायेगा, कुल 230 दिव्यांगजनों से आंकड़ों का संग्रह किया जायेगा।

इनसे प्राप्त आकड़ों के निष्कर्ष को सम्पूर्ण भारत व उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में प्रयोग किया जा सकता है तथा दिव्यांगों के पदचिन्हांकन एवं आरक्षण से सम्बंधित समस्याओं का समाधान व सुझाव प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. साहित्य समीक्षा :

मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विधियाँ

(1) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और वैकल्पिक प्रोटोकाल पर कन्वेंशन, 2006[43]

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिवम्बर, 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसमय को अंगीकृत किया था, इस अभिसमय के अनुच्छेद–3 में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सामान्य सिद्धांत दिया गया है, इसमें अपना चयन स्वयं करने की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अंतर्निहित गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान,गैर विभेद,समाज में पूर्व और प्रभावी भागीदारी और समावेशन, मानव विविधता और मानवता के हिस्से के रूप में दिव्यांग व्यक्तियों की भिन्नता और स्वीकृति का सम्मान, अवसर की समानता, अभिगम्यता, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता, दिव्यांग बच्चों की विकसित होती क्षमताओं का सम्मान और दिव्यांग बच्चों के अधिकारों का सम्मान का प्रावधान है। अनुच्छेद–4 में सामान्य बाध्यताएं दिया गया है जिसके अनुसार पक्षकार राज्य, दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद किये बिना सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सभी मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता का पूर्ण प्रापण सुनिश्चित करने और उनका संप्रवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है। अनुच्छेद–5 में समानता और गैर–विभेद का प्रावधान है जिसके अनुसार पक्षकार राज्यों की यह मान्यता है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और जिस विधि से वे शासित होते हैं उनमें बिना किसी

---
[43] संयुक्त राष्ट्र संघ का दिव्यांगजन अधिकारों पर अभिसमय, 2006

विभेद के विधि के समान संरक्षण और समान लाभ के पात्र हैं। पक्षकार राज्य दिव्यांगता के आधार पर सभी भेदभाव का प्रतिबंध करेंगे और दिव्यांग व्यक्तियों को सभी आधारों पर विभेद के खिलाफ समान और प्रभावी विधिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। अनुच्छेद–12 में कानून के समक्ष समान व्यवहार का प्रावधान है। अनुच्छेद–13 में न्याय तक पहुंच का प्रावधान है। अनुच्छेद–17 में व्यक्ति की निष्ठता का संरक्षण, प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को दूसरों के साथ समान आधार पर अपनी शारीरिक और मानसिक निष्ठता के सम्मान करने का अधिकार है। अनुच्छेद–24 में दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षा के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद–27 में दिव्यांग व्यक्तियों के काम और रोजगार के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 28 में दिव्यांगजनों और उनके परिवारों के पर्याप्त भोजन, कपड़े और आवास सहित जीवन के पर्याप्त मानक और जीवन की स्थितियों में निरंतर सुधार करने के लिए समुचित उपाय का प्रावधान है।

(2) भारत का संविधान[44] –

भारत का संविधान, भारत के नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है चाहे वह स्वस्थ हो या अक्षम (शारीरिक, मानसिक या किसी अन्य रूप से)। भारत का संविधान दिव्यांग व्यक्तियों को भी आरक्षण एवं पदचिन्हांकन के सम्बन्ध में कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो निम्नलिखित है– अनुच्छेद–14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद–15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर प्रतिषेध, अनुच्छेद–16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान है। यहां नागरिकों में दिव्यांग नागरिक भी सम्मिलित हैं। भारत के संविधान में भाग 4 राज्य के नीति–निर्देशक तत्व में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39(क) में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, अनुच्छेद 39(घ) में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद–41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने

[44]भारत का संविधान,1950

के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभाव उपबन्ध करेगा। अनुच्छेद–44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है। यहां नागरिकों में दिव्यांग नागरिक भी सम्मिलित हैं, किन्तु दिव्यांग आरक्षण में पदचिन्हांकन का प्रावधान लाकर राज्य दिव्यांग नागरिकों के बीच में ही समान व्यवहार नहीं कर रहा है। अनुच्छेद–46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की वृद्धि का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत दुर्बल वर्ग और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में इस वर्ग के दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल हैं।

(3) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016[45]

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसम्बर, 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया था, भारत इस अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता है और भारत ने 1 अक्टूबर 2007 को इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया था तथा भारत के संविधान का अनुच्छेद 253 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 27 दिसम्बर, 2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया, जो 19 अप्रैल 2017 से सम्पूर्ण भारत में लागू है। इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय तथा 102 धाराएं है जिनसे पदचिन्हांकन व आरक्षण से सम्बन्धित निम्नलिखित धाराओं में प्रावधान है–धारा–3 में समता और अविभेद का प्रावधान, धारा–8 में संरक्षण और सुरक्षा, धारा 12 में न्याय तक पहुंच, धारा–20 में नियोजन में विभेद न करना, धारा–21 में समान अवसर नीति, अनुच्छेद–32 में उच्च शिक्षा संस्थाओं में संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए कम से कम पांच प्रतिशत आरक्षण, धारा–33 में धारा 34 के उपबन्धों के अनुसरण में आरक्षित रिक्तियों आरक्षण के लिए पदों की पहचान, धारा–34 में प्रत्येक सरकारी स्थापन में नियुक्ति के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों द्वारा भरे जाने के लिए आशायित पदों में से प्रत्येक समूह के प्रवर्ग में कुल रिक्तियों की संख्या का चार प्रतिशत से अन्यून संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

---

[45]2016 का अधिनियम संख्या–49

(4) पुस्तक समीक्षा –

शोधकर्ता ने निम्नलिखित पुस्तकों की समीक्षा की है–

(1) 'डिसएबिलिटी एण्ड द लॉ'[46] – इस पुस्तक के लेखक राजीव रतुरी और मलिका अय्यर शशि कंठ हैं। यह पुस्तक दिव्यांगता और उससे सम्बन्धित विधिक अधिकारों के लिए विभिन्न विधिक प्रावधानों और नीतियों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण संस्करण है। इस पुस्तक में विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों और आदेशों के माध्यम से दिव्यांग अधिकारों की व्याख्या की गई है तथा पाठकों को बताने का प्रयास किया है । इस पुस्तक में उन न्यायिक निर्णयों को शामिल किया गया है जिससे दिव्यांगों को शिक्षा, रोजगार पहुंच, स्वास्थ्य, आवास आदि के क्षेत्र में दिव्यांगों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ा है। जो न्यायिक निर्णय उससे सम्बन्धित दिव्यांगों के लिए एक मिसाल के रूप में कार्य करता है। दिव्यांग अधिकार से सम्बन्धित जनहित याचिकाओं को भी इस पुस्तक के विभिन्न भागों में शामिल किया गया है। यह संस्करण यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायालयों द्वारा निर्णीत विभिन्न दिशा निर्देशों पर प्रकाश डालता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को विधि के द्वारा प्रदत्त गारंटीकृत अधिकारों का आनंद मिलता है, जैसा कि आज भी देखने को मिलता है रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाया गया था, ब्रेललिपि के माध्यम से दिव्यांग मतदाताओं को ईवीएम तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। सार्वजनिक क्षेत्रों में नियुक्ति की मांग पर भी उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालयों द्वारा जिसमें दिव्यांगों को राहत दी गयी है, उन निर्णयों का वर्णन भी इस पुस्तक में लिया गया है।

(2) द फ्यूचर ऑफ डिसेबिलिटी लॉ इन इंडिया[47]– जयना कोठारी द्वारा लिखित यह पुस्तक दिव्यांग व्यक्तियों से सम्बन्धित अधिनियम की पारम्परिक विधिक टिप्पणी की तरह नहीं बाया गया है जो किसी विधि पर अध्यायवार चर्चा करता हो। यह एक विश्लेषणात्मक कार्य है और इसे दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य अधिकारों का विश्लेषण करते हुए लिखा गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम क्या दिव्यांगजनों के वर्तमान अधिकारों को लागू कराने में कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसका

---

[46]यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, इण्डिया, 2011
[47]ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012

विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। यह पुस्तक भारत में दिव्यांग व्यक्तियों से सम्बन्धित विधियों के ऐतिहासिक विकास का मूल्यांकन करती है जो अंततः दिव्यांग अधिकारों की तरफ ले जाती है। इस पुस्तक में निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, 1995 की आलोचना की गई है क्योंकि यह अधिनियम केवल सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों में दिव्यांग आरक्षण का प्रावधान करता है। इस पुस्तक में बताया गया है कि नौकरियों को पहले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रूप में पहचाना जाना चाहिए अर्थात् पहले पदचिन्हांकन करना चाहिए और उसके बाद उन नौकरियों में तीन प्रतिशत पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। लेखक द्वारा यह पाया गया है कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं नहीं है तो शिक्षा, रोजगार आदि का उनका अधिकार निरर्थक होगा। अंत में इस पुस्तक में निःशक्त अधिकार अधिनियम 1995 में, दिव्यांग आरक्षण का प्रावधान में निजी क्षेत्र को शामिल न करने की आलोचना की गयी है।

(3) डिसएबिलिटी स्टीडिज इन इंडिया ग्लोबल डिसकोर्स, लोकल रियलटीज[48] – यह पुस्तक रेनु अद्दलखा ने संग्रहित किया गया है जिसमें विभिन्न विषयों, विश्वविद्यालयों, सरकारें, गैर सहकारी संस्थानों और समाज के व्यक्तियों का योगदान है जो दिव्यांग अधिकारों के लिए अपना योगदान व सहयोग किये है। इस पुस्तक को पांच भागों में विभाजित किया गया है। भाग–एक पश्चिम संस्कृति के विपरीत भारत में दिव्यांग अधिकारों के आन्दोलन का ऐतिहासिक विकास का मूल्यांकन करता है। भाग–दो भारतीय संदर्भ में लिंग निर्धारण और दिव्यांगता चयन के बीच समानता पर प्रकाश डालता है। यह पसंद की स्वतंत्रता, लिंग और दिव्यांगता आधारित उत्पीड़न और मातृत्व और बचपन की धारणाओं के मुद्दे की भी जांच करता है। देश में घटते लिंगानुपात को देखते हुए प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण अवैध है। हालांकि, जितना अधिक उदार गर्भपात का प्रावधान है उससे भी दिव्यांग बच्चों के गर्भपात को अनजाने में वैध बनाने की संभावनाए बढ़ी हैं। भाग–तीन दिव्यांग महिलाओं द्वारा अपने दैनिक जीवन में विषम लैंगिकता के कारण सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं को संदर्भित करता है। काम और मातृत्व सामान्य तौर

[48] राउटेज टॉयलिन एण्ड फ्रानसिक ग्रुप, नई दिल्ली

पर सामान्य महिलाओं से जुड़े होते हैं लेकिन इनका उपयोग दिव्यांग मानी जाने वाली महिलाओं का वर्णन करने के लिए नहीं किया जाता है जो समान रूप से निष्क्रिय, आश्रित और वंचित हैं। भाग–चार में दिव्यांगों के समुदाय आधारित पुनर्वास की अवधारणा पर चर्चा की गई है। भाग–पांच यानि पुस्तक का अंतिम खण्ड सूक्ष्म और वृहत स्तर के दृष्टिकोण के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की जीवन स्तर में सुधार करने के लिए ठोस प्रस्ताव पेश करता है। दिव्यांगता क्षेत्र में सशक्तिकरण के लिए महिला आन्दोलन की रणनीतियों को दोहराने का सुझाव इस पुस्तक में दिए गये हैं।

(4) डिसएबिलिटि डेवलपमेंट इन इंडिया[49] – यह पुस्तक डॉ. जे.पी. सिंह और डॉ. मनोज के. दास द्वारा लिखी गयी है। इसमें सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों दोनों के योगदान का विवरण दिया गया है, जो हर गुजरते दिन के साथ दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें सभी समान अवसरों तक लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे बहुप्रतीक्षित लक्ष्य हैं यह पुस्तक दिव्यांगता की रोकथाम, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जनशक्ति विकास समुदाय आधारित पुनर्वास, सूचना प्रसार, बाधामुक्त वातावरण आदि विभिन्न विधिक प्रावधानों पर प्रकाश डालती है। हालांकि इस पुस्तक में कहा गया है कि यद्यपि कई क्षेत्रों भारत ने बहुत कुछ किया है अब भारत जैसे राष्ट्र को दिव्यांग व्यक्तियों को समाज के मुख्यधारा में लाने और उन्हें अन्य सक्षम शरीर वाले व्यक्तियों के समान जीवन प्रदान करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हालांकि, संघर्ष जारी है और जो यात्रा कई साल पहले शुरू हुई थी वह अभी भी जारी है और पूरी उम्मीद है कि अंत में हम जीतेंगे।

(5) डिसएबिलिटी एण्ड द लॉ[50] – यह पुस्तक गौतम बनर्जी द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में सभी संसदीय या कार्यकारी विधानों का विश्वकोश को एक ही स्थान पर प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक दिव्यांगता से सम्बन्धित सभी प्रासंगिक विधियों, वैधानिक नियमों और विनियमों को समाहित करती है। यह दिव्यांगता पर

---

[49]भारतीय पुनर्वास परिषद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2014
[50]कामर्शियल लॉ पब्लिशर्स, इंडिया, प्रा.लि. 2012

विधिक पेशेवरों, न्यायाधीशों, चिकित्सा पेशेवरों, पुनर्वास पेशेवरों, शिक्षकों और छात्रों के मन में उठने वाले कई सवालों के जबाव देने की कुंजी है, जो दिव्यांगों के अधिकारों के लिए प्रयासरत है। यह पुस्तक जागरूकता को भी बढ़ाती है। दिव्यांगों को स्वयं और उनके परिवार के सदस्यों को भारतीय संविधान और अन्य सामाजिक कल्याण विधियों के तहत उन्हें दिये गये विभिन्न अधिकारों के बारे में बताया गया है। यह पुस्तक भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद विधियों का सरलतम संदर्भ भी देती है। इस पुस्तक में संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों, सम्मेलनों और दस्तावेजों के प्रासंगिक संदर्भों को शामिल किया गया है, क्योंकि ये वह आधार देते है जिस पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बनाया गया है।

(6) राइट्स ऑफ द डिसएबल्ड[51] – यह पुस्तक अवधेश कुमार सिंह द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। ये अधिकार शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास और विकास प्रक्रिया में नये आयाम है, दिव्यांग व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न सामाजिक–विधिक प्रावधानों पर चर्चा करने और उन्हें अपने विकास और समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के लिए समान अवसर प्रदान करने के प्रयास किये गये हैं। लेखक ने अपनी इस पुस्तक में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के कुछ अवसरों का संकलन किया है। भारत में दिव्यांगों को रोजगार, विशेष योग्यता वाले बच्चों के शैक्षिक अधिकार, दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के रक्षा के लिए समीक्षा और राष्ट्रीय प्रयासरत, दिव्यांगों के सिविल और राजनीतिक अधिकारों से सम्बन्धित मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य, दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकता और अधिकार, दिव्यांगता के कारक, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार, दिव्यांग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विधिक सुरक्षा का महत्व और दिव्यांगता के मुद्दों से निपटने के लिए सरकारी संगठनों के प्रयास। इस पुस्तक में लेखक ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उपलब्धियों की भी समीक्षा की है। इस पुस्तक में दिव्यांगता की

---

[51] सीरियलस् पब्लिकेशंनस्, नई दिल्ली, 2008

संकल्पना भी की गई है और भारत में दिव्यांगता आबादी की प्रकृति और परिमाण की समीक्षा भी की गई है।

(7) लॉ एण्ड प्रैक्टिस ऑफ डिसएबिलिटी[52] – यह पुस्तक डॉ. बी.वी. सुब्रमण्यम द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक चिकित्सकों, अधिवक्ताओं, न्यायालयों, पीड़ितों और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी है। इस पुस्तक में लेखक का उद्देश्य विभिन्न दिव्यांगताओं, उनके मूल्यांकन, आदि को एक साथ रखना है। मशीन के बिना मनुष्य अकल्पनीय है। मशीन मनुष्य को आघात पहुंचाती है। मनुष्य अंग या जीवन या उसके किसी भाग के नुकसान के लिए प्रतिकर चाहता है। महंगी सर्जरी हर किसी की पहुंच में नहीं है। इस पुस्तक में इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार और गैर–सरकारी संगठनों को दिव्यांगों, उनकी सुविधाओं और उनके पुनर्वास पर अधिक ध्यान देना होगा।

(8) राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटिज[53] – यह पुस्तक एस.के. वर्मा और एस. सी. श्रीवास्तव द्वारा 31 मार्च से 1 अप्रैल 2000 के बीच विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी में विभिन्न लोगों ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था, संकलित किया गया है। यह संगोष्ठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रायोजित और सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा सहप्रायोजित तथा भारतीय विधि संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था। यह सेमिनार शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति और भारतीय पुनर्वास परिषद विषय पर था। यह सेमिनार दिव्यांगों के सामाजिक आर्थिक और विधायी नीतियों पर नये सिरे से विचार करने के लिए आयोजित किया गया था। यह सेमिनार विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार में सीटों के आरक्षण के लिए और सबसे बढ़कर उन्हें मानव गतिविधि के क्षेत्र में समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। इस सेमिनार का उद्देश्य दिव्यांग अधिकारों की सुरक्षा के लिए वर्तमान विधियों और निर्देशात्मक ढांचे की समीक्षा करना भी था। पुस्तक को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें वर्तमान मुद्दों और दिव्यांगों के दैनिक जीवन में अपने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

---

[52]लॉ पब्लिशर्स, इण्डिया प्रा.लि., 2009
[53]भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, 2002

5. प्रकाशित लेख –

(1) डिसएबिलिटी एण्ड इंडियन ज्यूडिशिरी ए लीगल स्टडी[54] – इस लेख पत्र को दिलीप कुमार उपाध्याय द्वारा लिखा गया है, इस लेखपत्र में लेखक ने निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, 1995 के अंतर्गत गारंटीकृत दिव्यांगों के अधिकारों की सुरक्षा में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला है। यह लेख दिव्यांगों के लिए विभिन्न नीतिगत निर्णयों और कार्यकारी उपायों पर भी प्रकाश डालता है। लेखक ने दिव्यांगों के सम्बन्ध में शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक पुनर्वास, सावर्जनिक परिवहन और भवनों तक पहुंच, बाधा मुक्त वातावरण और सामुदायिक रणनीतियों से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों के निर्णय और दिव्यांगों के कल्याण के लिए राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का सारांश दिया है। यह लेख समाज को दिव्यांगों की जरूरतों और मांगों को समझने और उसके अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता पर भी जोर देता है।

(2) क्या भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा एक संवैधानिक अधिकार है?[55] यह लेख डॉ. एल. लक्ष्मी द्वारा लिखा गया है। इस लेख में लेखक ने भारतीय संविधान और अन्य विधियों के अंतर्गत दिये गए दिव्यांगों के शैक्षणिक अधिकारों पर चर्चा की है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 13(2) के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को भी शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस सम्बन्ध में लेखक ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों और बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की अवधारणाा को विकसित करने में उनके प्रयासों पर प्रकाश डाला है। दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा प्रणाली से बाहर नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिसका उद्देश्य मानव क्षमता का पूर्ण विकास, गरिमा, आत्म–मूल्य की मौलिक भावना, मानव अधिकारों, स्वतंत्रता और मानव विविधता के लिए सम्मान को मजबूत करना है। जिससे उन्हें सक्षम बनाया जा सके तथा वे एक

[54]द लीगल एनालिस्ट आईएसएसएन 2231&5554 खंड 1 जून 2011 पृ–146–154
[55]सुप्रीम कोर्ट जर्नल 2013, पृ.23–31

स्वतंत्र समाज में प्रभाव ढंग से भाग ले सकें। इस लेख में बताया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छे–21ए के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर दिव्यांग व्यक्ति को आवश्यकताओं का उचित समायोजन प्रदान किया जाए।

शोध अन्तराल– शोधार्थी ने शोध विषय से सम्बंधित उपर्युक्त पुस्तकों, शोधपत्रों, वाद विधियों की समीक्षा की है लेकिन कहीं भी दिव्यांगो के पदचिन्हांकन के सम्बन्ध में कोई शोध या पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। दिव्यांगो के विभिन्न अधिकारों व मानवाधिकारों की बात की गयी है, यहाँ तक दिव्यांग आरक्षण के सामान्य अधिनियमों जैसे नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम 1995 तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांग आरक्षण की बात की गयी है लेकिन आरक्षण को लागू करने में प्रमुख बिंदु 'पदचिन्हांकन' की चर्चा न तो किसी पुस्तकों में की गयी है और न किसी शोधपत्र या शोध प्रबंध में किया गया है इसीलिए इस विषय पर शोधार्थी को शोध करने की आवश्यकता है जिससे इस शोध अन्तराल को भरा जा सके। उपर्युक्त सभी अध्ययन में शोधार्थी ने पाया कि सभी अध्ययन में दिव्यांग आरक्षण की बात तो की गयी है लेकिन आरक्षण को लागू करने में आने वाली 'पदचिन्हांकन' की समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया जबकि 'पदचिन्हांकन' में न आने के कारण सभी 'संदर्भित दिव्यांगजन' को शासकीय सेवाओं में होने वाली नियुक्ति में आरक्षण प्राप्त नहीं होता है जिससे आज वर्तमान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 34 के अनुसार शासकीय नियुक्तियों में 4 प्रतिशत दिव्यांगजन नियुक्त नहीं हो पाए हैं शासकीय नियुक्तियों में 4 प्रतिशत दिव्यांगजन आरक्षण को लागू करने में 'पदचिन्हांकन' ही रूकावट बन रहा है, इसीलिए शोधार्थी को इस विषय पर शोध करने की आवश्यकता है जिससे इसस शोध विषय से सबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके ।

4. विशिष्ट योगदान :

(1) डॉ. सुधा कौल – ये वर्ष 2010 में भारतीय प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात संस्थान कोलकाता की उपाध्यक्ष थी, इनकी अध्यक्षता में ही गठित विशेषज्ञ समिति, जो निःशक्त व्यक्ति अधिकार से सम्बन्धित थी, इन्होंने वर्ष 2011 में निशक्तः व्यक्तियों के अधिकारों से सम्बन्धित प्रारूप विधेयक का सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। प्रारूप विधेयक पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों और विभिन्न पणधारियों को अर्न्तवलित करते हुए विभिन्न स्तरों पर व्यापक रूप से विचार–विमर्श हुआ था, वर्ष 2014 में हमारी देश की संसद ने निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014 पेश किया, जो आगे चलकर वर्ष 2016 में अधिनियम संख्या 49 के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के रूप में पारित हुआ, जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति 27 दिसम्बर, 2016 को दिया तथा ये अधिनियम 19 अप्रैल 2017 से पूरे भारत में लागू हो गया।

(2) ईरा सिंघल – ये यूपीएससी द्वारा आयोजित आईएएस 2014 की टॉपर है। ये 62 प्रतिशत शारीरिक रूप से दिव्यांग एक महिला है, जो 2014 में आईएएस टॉप करने के पूर्व वर्ष 2010, 2011 और 2013 में यूपीएससी द्वारा आयोजित आईएएस की परीक्षा दी थी और तीनों प्रयासों में इनका आईआरएस के रूप में चयन हुआ था, किन्तु 62 प्रतिशत लोकोमोटर दिव्यांगता के कारण उन्हें आईआरएस की पद पर नियुक्त नहीं दी गयी, फिर इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के विरुद्ध केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अपनी नियुक्ति के लिए वाद प्रस्तुत किया, इनकी नियुक्ति पदचिन्हांकन में न आने के कारण नहीं दिया था, वर्ष 2014 में इन्होंने अपना केस जीता और आईआरएस के लिए चयनित हुई, परन्तु 2014 के आईएएस परीक्षा में सर्वोच्च स्थान लाकर आईएएस के रूप में चयनित हुई। संघ लोक सेवा मील का पत्थर साबित हुआ जिसके परिणामस्वरूप यूपीएससी आईएएस 2022 में एक ऐसा अभ्यर्थी आईएएस बना जिसके दोनों हाथ और पैर नहीं है वो अभ्यर्थी सूरज तिवारी हैं जिन्होंने एक रेल हादसे में अपने दोनों हाथ तथा पैर गंवा दिया, एक हाथ में सिर्फ दो अंगुलियां है, जिसके द्वारा लिखकर यूपीएससी आईएएस जैसा कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करके आईएएस बनें।

निर्णीत वाद :

1. डॉ. विजय कुमार अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य[56] राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं दिया जाता था क्योंकि विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार, मेडिकल पाठ्यक्रम दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए मेडिकल पाठ्यक्रमों में दिव्यांग आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की जिसमें वह प्रार्थना किया कि निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत अनिवार्य आरक्षण के अंतर्गत उसे भी मेडिकल कोर्स में प्रवेश दिया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की रिट को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता को पी.जी. मेडिकल पाठ्यक्रम में तीन सप्ताह के भीतर प्रवेश दिया जाए । इस वाद के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान में मेडिकल पाठ्यक्रमों में दिव्यांग आरक्षण लागू किया। अतः याचिकाकर्ता डॉ. विजय कुमार अग्रवाल व राजस्थान उच्च न्यायालय के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

2. राजीव कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ[57] यह वाद दिव्यांग आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक मामला है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को ग्रुप ए और ग्रुप बी सहित सभी पदों में (ग्रुप ए से ग्रुप डी तक) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण को विस्तार करने का निर्देश दिया। इस मामले के बाद दिव्यांग आरक्षण में कुछ सुधार देखने को मिला है, इसलिए दिव्यांग आरक्षण में उच्चतम न्यायालय तथा याचिकाकर्ता राजीव कुमार गुप्ता व अन्य का योगदान को नहीं भुलाया जा सकता।

---

[56]2001(1), डब्लू.एल.एन. 620

[57]ए.आई.आर. 2016,एस.सी. 3238

2. नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बनाम संघ लोक सेवा आयोग[58] यह वाद दृष्टिबाधितों के लिए कार्य करने वाली एन.जी.ओ. नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के माध्यम से दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेललिपि या लेखक की मदद से परीक्षा में भाग लेने के लिए उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गयी थी। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग को आदेश दिया कि दृष्टिबाधित (नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित) पात्र उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने या लिखने की अनुमति ब्रेललिपि या लेखक की मदद से दे। इस मामले के निर्णय के बाद संघ लोक सेवा आयोग सहित सभी परीक्षाओं में यह सुविधा शुरू कर दिया गया, अतः इसमें एन.जी.ओ. व उच्चतम न्यायालय के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

5. शोध प्रविधि :

यह अध्ययन सैद्धांतिक और गैर सैद्धांतिक पद्धति दोनों का संयोजन है। शोध सामग्रियों के अध्ययन और विश्लेषण में सैद्धांतिक शोध पद्धति का अनुसरण किया गया है तथा शोध समस्या की वास्तविक स्थिति व उसके संभावित समाधान का अध्ययन करने के लिए गैर सैद्धांतिक शोध पद्धति (अनुभव जन्य) का अनुसरण किया गया है। अध्ययन में सैद्धांतिक अध्ययन एवं गैर सैद्धांतिक (अनुभव जन्य) अध्ययन का प्रयोग कर परिकल्पना का परीक्षण एवं परिकल्पना को सिद्ध किया जाना है। प्रस्तुत शोध व्यावहारिक, तुलनात्मक, मात्रात्मक तथा विश्लेषणात्मक हैं। शोध अध्ययन और आंकड़ा संग्रह के प्राथमिक स्रोतों में विभिन्न अधिनियम, वैधानिक सिद्धांत, नियमावली (विशेष रूप से केन्द्र सरकार के व उत्तर प्रदेश

[58] ए.आई.आर. 1993, एस.सी. 1916

सरकार तथा इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु तथा बिहार राज्य के सरकारों द्वारा दिव्यांग आरक्षण व पदचिन्हांकन के सम्बन्ध में बनायी गयी नियमावली), विज्ञापन (सरकारी नौकरियों हेतु जारी विज्ञापन जिसमें दिव्यांग आरक्षण व पदचिन्हांकन का प्रावधान है), न्यायिक निर्णय, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकारण के निर्णय, इत्यादि प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से आंकड़ा संग्रह किया जायेगा। द्वितीयक आंकड़ों के लिए विभिन्न शोधपत्र, पुस्तकें, लेख, समाचारपत्रों, इन्टरनेट , वेबसाइट इत्यादि से द्वितीयक आंकड़े लिए गये हैं।

शोधार्थी के द्वारा सैद्धांतिक अध्ययन के लिए दिव्यांगजनों से सम्बन्धित अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय विधियां तथा भारत के 7 राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु तथा बिहार राज्य) के दिव्यांग आरक्षण व पदचिन्हांकन से सम्बन्धित विधियां व नियमावलियों का तुलनात्मक अध्ययन करके शोध समस्या के संभावित समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा ।

उद्धरण के लिए ब्लूबुक उद्धरण प्रणाली 21वां संस्करण का प्रयोग किया है।

गैर सैद्धांतिक (अनुभव जन्य) अध्ययन के लिए शोधार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश के दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय, दो राज्य विश्वविद्यालय तथा दो विशेष विश्वविद्यालय के दिव्यांग प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों व केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों से प्रश्नावली, साक्षात्कार के माध्यम से दिव्यांग आरक्षण व पदचिन्हांकन की वास्तविक स्थिति, इसकी पूर्णता तथा इनमें अपेक्षित सुधार की आवश्यकता आदि का अध्ययन किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य के दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय, दो राज्य विश्वविद्यालय तथा दो विशेष विश्वविद्यालय के दिव्यांग प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों व केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है, जिनसे आंकड़ा संग्रह किया जाना प्रस्तावित है –

क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	दिव्यांगों की संख्या	
		प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी	दिव्यांग शासकीय कर्मचारी
1.	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.)	25	5
2.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उ.प्र.)	25	5
3.	दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.)	25	5
4.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)	25	5
5.	डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)	25	5
6.	जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट (उ.प्र.)	25	5
7.	उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों की संख्या	25	
8.	केंद्र सरकार के दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों की संख्या	25	

दिव्यांगों की कुल संख्या जिनसे आंकड़ा संग्रह किया गया है– 230

(प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी 150 + शासकीय कर्मचारी 80)

6. अपेक्षित परिणाम :

इस शोध का परिणाम यह होगा कि लोक नियोजन में दिव्यांगजनों का जो आरक्षण एवं पदचिन्हांकन है उसमें विभेद खत्म होगा तथा सभी दिव्यांगजनों को समान रूप से दिव्यांग आरक्षण एवं पदचिन्हांकन का लाभ मिल सकेगा जिससे आरक्षण एवं पदचिन्हांकन में जो भेदभाव व असमानता है वह समाप्त होगा। यह शोध नीति निर्माता , भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य सभी राज्यों की सरकारों को पदचिन्हांकन व आरक्षण नीतियाँ बनाने और उसे लागू करने में सहायक होगा जिससे दिव्यांगजनों के ही बीच में होने वाला विभेद दूर होगा जिससे यह समाज लाभावन्वित होगा क्योकिं सभी दिव्यांगजनों को दिव्यांग आरक्षण का लाभ समान रूप से मिलेगा ।

7. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

प्राथमिक स्रोत–

1.वाद विधि–

- डॉ. विजय कुमार अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य, 2001(1),डब्लू.एल.एन. 620(राजस्थान)
- राजीव कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 2016, एस.सी. 3238 (भारत)
- नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बनाम संघ लोक सेवा आयोग, ए.आई.आर. 1993,एस.सी. 1916 (भारत)
- ईरा सिंघल बनाम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एण्ड ट्रेनिंग एवं अन्य , निर्णय तिथि 25 फरवरी 2014, सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रधान पीठ, ओ.ए 2543/2012

2. संविधान–

- भारत का संविधान, (अनुच्छेद –14 , अनुच्छेद –15, अनुच्छेद –16, अनुच्छेद–क), अनुच्छेद – 39(घ), अनुच्छेद – 41, अनुच्छेद 44– , अनुच्छेद– 46)

3. अधिनियम, अध्यादेश और विधेयक–

- नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 (धारा–32, धारा–33, धारा–34, धारा–35, धारा–36, धारा–37, धारा–38, धारा–39, धारा–40, धारा–41)
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (धारा–3, धारा–8, धारा–12, धारा–20, धारा–21, धारा–22, धारा–31, धारा–32, धारा–33, धारा– 34, धारा– 35,धारा–36, धारा–37)
- दिव्यांगजन अधिकार विधेयक, 2014, एवं संशोधित संस्करण 2016

4. परिपत्र, निर्देश और दिशा–निर्देश–

- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा,1948
- मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की अधिकारों की घोषणा,1971
- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा,1975
- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और वैकल्पिक प्रोटोकॉल पर कन्वेंशन, 2006

5. नियम एवं विनियम–

- दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017

6. अधिसूचना एवं कार्यपालिकीय आदेश–

- भारत सरकार द्वारा पहचानी गई नौकरियों की सूची–2007
- भारत सरकार द्वारा पहचानी गई नौकरियों की सूची–2013(नई)
- भारत सरकार द्वारा चिन्हित नौकरियों की सूची–2021(नई)
- उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांगजन के लिए आरक्षण हेतु समूह 'क' 'ख' 'ग' व 'घ' श्रेणी के पदों का पदचिन्हांकन, लखनऊ,दिनांक 13 जनवरी, 2011, शासनादेश

  एवं शासनादेश संख्या 3/2021/324/2021/65–3–2021–78/99टी0सी0, दिनांक 30.07.2021 एवं संशोधित शासनादेश संख्या02/2022/1/246279/2022/फाइल नंबर 65–3099/58/2022–3,दिनांक 09.12.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह 'क','ख','ग' व 'घ', श्रेणी में 04 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन

द्वितीयक स्रोत–

1. पुस्तकें

- जैन एम. पी., 'भारतीय संवैधानिक विधि', लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ्स वाधवा, नागपुर (छठा संस्करण (पुनः मुद्रण) 2010)
- पी. एम. बक्शी, 'भारत का संविधान', यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी,नई दिल्ली (ग्यारहवाँ संस्करण 2011)
- राजीव रतुरी और मलिका अय्यर शशि कंठ,'डिसएबिलिटी एण्ड द लॉ' यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कम्पनी,नई दिल्ली, इण्डिया,(द्वितीय संस्करण 2011)
- कोठारी, जयना,'द फ्यूचर ऑफ डिसेबिलिटी लॉ इन इंडिया' ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली (प्रथम संस्करण 2012)
- अद्दलखा, रेनु,'डिसएबिलिटी स्टीडिज इन इंडिया ग्लोबल डिसकोर्स लोकल रियलटीज',राउटेज टॉयलिन एण्ड फ्रानसिक ग्रुप, नई दिल्ली (प्रथम संस्करण 2015)
- डॉ. जे.पी. सिंह और डॉ. मनोज के. दास,'डिसएबिलिटि डेवलपमेंट इन इंडिया', भारतीय पुनर्वास परिषद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

का एक सांविधिक निकाय, (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण 2014)

- बनर्जी, गौतम,'डिसएबिलिटी एण्ड द लॉ',कामर्शियल लॉ पब्लिशर्स, इंडिया, प्रा.लि. (प्रथम संस्करण 2012)
- सिंह, अवधेश कुमार,'राइट्स ऑफ द डिसएबल्ड', सीरियलस् पब्लिकेशंनस्, नई दिल्ली, (प्रथम संस्करण 2008)
- सुब्रमण्यम,डॉ. बी.वी.,'लॉ एण्ड प्रैक्टिस ऑफ डिसएबिलिटी', लॉ पब्लिशर्स,(इण्डिया)प्रा.लि.,(प्रथम संस्करण 2009)
- एस.के. वर्मा और एस.सी. श्रीवास्तव,'राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटिज', भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, (शिवम ऑफसेट प्रेस, प्रथम संस्करण 2002)

2. शोधपत्र लेख–

- उपाध्याय , दिलीप कुमार, 'डिसएबिलिटी एण्ड इंडियन ज्यूडिशिरी ए लीगल स्टडी', द लीगल एनालिस्ट आईएसएसएन 2231–5554, खंड 1 ,जून 2011, पृ–146–154
- लक्ष्मी, डॉ. एल.,'क्या भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा एक संवैधानिक अधिकार है?' सुप्रीम कोर्ट जर्नल 2013,पृ. 23–31

3. समाचार पत्र लेख–

- नवोदित सक्तावत,'पटवारी बनाने के लिए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाने वाले अभ्यर्थी पर एफआईआर दर्ज',शिवपुरी,मध्य प्रदेश नई दुनिया प्रतिनिधि, 26 फरवरी 2024
- 'फर्जी सर्टिफिकेट, झूठ धोखेबाजी से बनी थीं ट्रेनी आईएएस जानिए क्या है पूजा खेडकर का पूरा केस',आज तक,31 जुलाई 2024
- स्वाति कुमारी ,'एम.पी. न्यूज,फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वालों पर एक्शन,जिला शिक्षा अधिकारी ने किया नियुक्ति निरस्त,लाइव हिंदुस्तान समाचार पत्र उज्जैन ,मध्य प्रदेश,16 जनवरी, 2024
- पुष्पेन्द्र सिंह,'ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पैर–एक हाथ कटा, तीन उंगलियों से पास की यूपीएससी परीक्षा, अखिलेश हुए मुरीद, आज तक , मैनपुरी ,उत्तर प्रदेश 24 मई, 2023।

4. इन्टरनेट स्रोत–

- https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
  अंतिम बार 16 अगस्त 2024 को 10:04:40 AM पर देखा गया।
- https://depwd.gov.in/#
  अंतिम बार 18 अगस्त 2024 को 11:32:21 AM पर देखा गया ।

- https://shasanadesh.up.gov.in/
  अंतिम बार 19 अगस्त 2024 को 09:16 :53AM पर देखा गया ।
- https://www.uphwd.gov.in/en/page/district-wise-population-of-disabilities
  अंतिम बार 20 अगस्त 2024 को 08:20:31 A.M पर देखा गया।
- https://www.rtionline.gov.in
  अंतिम बार 22 अगस्त 2024 को 11:09 :13 A.M पर देखा गया।

शोधार्थी

Alok chaurasiya
28/08/2024
(आलोक कुमार चौरसिया)

शोध–निर्देशिका

Saxena
28/08/2024
(डॉ. अनुपमा पंडित सक्सेना)

शोध सलाहकार समिति को अग्रेषित:

शोध सलाहकार समिति सदस्य	शोध सलाहकार समिति सदस्य	शोध सलाहकार समिति सदस्य
28/8/2024	28/8/24	Saxena 28/08/2024
(डॉ. विकास अग्रवाल)	(प्रो. उत्सव आनंद)	(डॉ. अनुपमा पंडित सक्सेना)
विधि विभाग	अर्थशास्त्र विभाग	विधि विभाग

28/8/24

विभागाध्यक्ष

अध्यक्ष
Head
विधि विभाग
Department of law
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि.सागर
Dr. H. S. Gour V. V., Sagar

(प्रो. जी. एल. पुणताम्बेकर)

विधि विभाग

28/08/2024
DEAN
SCHOOL
Dr. H.